न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA164 Chensingh etc Vs State etc

1. चैनसिंह पुत्र चुन्नीलाल राजपुरोहित
2. गिरधारीसिंह पुत्र चुन्नीलाल राजपुरोहित
3. श्रवणसिंह पुत्र चुन्नीलाल राजपुरोहित
4. शारदा पुत्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
5. नरपतसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपुरोहित
6. पूजा पुत्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
7. कविता पुत्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
8. जसराजसिंह पुत्र मूलसिंह राजपुरोहित
9. शंकरसिंह पुत्र मूलसिंह राजपुरोहित
10. दलपतसिंह पुत्र मूलसिंह राजपुरोहित
11. कमला पत्नी मूलसिंह राजपुरोहित
12. प्रेम पुत्री मूलसिंह राजपुरोहित
13. गीता पुत्र मूलसिंह राजपुरोहित
14. धापु पुत्री मूलसिंह राजपुरोहित
15. मीरा पुत्री मूलसिंह राजपुरोहित

निवासीगण ग्राम बडली, तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 18/2014 राजस्थान सरकार बनाम श्रवणसिंह व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 18/2014 राजस्थान सरकार बनाम श्रवणसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर के खसरा संख्या 319 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा अप्रार्थीगण संख्या एक व दो (अपीलाण्ट्स) की खातेदारी की कृषि भूमि है, मगर अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन-विभाग द्वारा गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण की कार्यवाही में मौके पर 114 गुणा 75 गुणा 1.5, 19 गुणा 15 गुणा 1, 22 गुणा 12 गुणा 1.25 मीटर भूभाग का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर अवैध खनन का कार्य किया जाना पाया गया। अतः इन खातेदारान की वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या दो (अपीलाण्ट्स संख्या एक से सात) की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल) ने वकालतनामा पेश किया व बाद में इनकी ओर से जबाब भी पेश किया जबकि अन्य अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से अधीनस्थ न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा संख्या 319 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा बडली में से खनन कार्य हेतु प्रयुक्त की गयी भूमि सिवायचक घोषित कर राज्य सरकार को समायोजित कर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी समाप्त कर दी। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20 फरवरी 2013 को अप्रार्थी-अपीलाण्ट सुमेरसिंह का देहान्त हो चुका था, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक मृत पक्षकार के खिलाफ पारित आदेश होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 319 की मीरा पुत्री मूलसिंह भी खातेदार है, मगर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, फिर भी उसकी खातेदारी की भूमि सिवाय चक घोषित कर दी गयी। इसी प्रकार अपीलाण्ट्स पर कभी भी नोटिस/सम्मन जारी नहीं किये गये, और अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो जांच दल मौके पर पहुँचा, उसे वादग्रस्त आराजी के खातेदारान में से कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं मिला था, फिर भी अवैध खनन का मामला खातेदारान के खिलाफ किस आधार पर बनाया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रकरण में प्रतिवाद की स्थिति में

आवेदन-पत्र में एक नियमित वाद की तरह ही परीक्षण किये जाने का प्रावधान है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो आलौच्य मामला दैनिक कॉजलिस्ट में अंकित किया गया, न पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की गयी और न सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाण्ट्स की जानकारी के बिना ही एकमुश्त सभी समान प्रकरणों में एक जैसा आदेश पारित कर दिया गया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, जो भूमि अवैध खनन हेतु प्रयुक्त किया जाना समूचे प्रकरण में बार-बार बताया जाता रहा है, उसका मात्र क्षेत्रफल/नाप ही अंकित किया जाता रहा है, किसी भी स्तर पर उस विशिष्ट भू-भाग का अंकन कर वर्णन नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो जाता है कि भौतिक तौर पर मौका मुआयना ही नहीं किया गया, अपितु मात्र कागजी कार्यवाही कर खानापूर्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त मौका मुआयना कब किया गया? अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र कब प्रस्तुत किया गया? यह भी विचारणीय है। इस संबंध में मौका मुआयना करने की निश्चित दिनांक की जानकारी कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विहित परिसीमा तीन साल की निर्धारित समयावधि में पेश किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मियाद के संबंध में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व मृत पक्षकार सुमेरसिंह के कायममुकामान की कार्यवाही नहीं की गयी, मीरा पुत्री मूलसिंह स्वयं वादग्रस्त आराजी की खातेदार है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, इन सभी कारणों से अपीलाधीन आदेश की अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 17 अक्तूबर 2019 को पटवारी हळका एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा अपीलाण्ट संख्या एक को कहने पर अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी हुई, तब अपीलाधीन आदेश की नकलें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राप्त करने के बाद तुरन्त आलौच्य अपील पेश कर दी गयी है। अतः अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। पटवारी हळका की मौक़ा रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 की है, जिसके अनुसार मौके पर अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थनापत्र 15 मार्च 2013 को पेश कर दिया गया। जाहिर है कि तीन साल की सीमावधि में ही पेश कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए है। अतः अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के विन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनिज-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम

हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ जमाबंदी ग्राम बडली संवत 2059-2062 की नकल पेश की गयी है, जिसके अनुसार आराजी खसरा संख्या 319 के खातेदारान में अन्य अपीलाण्ट्स के साथ-साथ मीरा पुत्री मूलसिंह नाम दर्ज है। जिसे आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है।

3. अपील मीमों के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से सुमेरसिंह पुत्र चुन्नीलालसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी पेश की गयी है। उक्त मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार सुमेरसिंह पुत्र चुन्नीलालसिंह का देहान्त 20 फरवरी 2013 को हो चुका था और अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 07 फरवरी 2014 को दर्ज किया गया एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को पारित किया गया है, मगर उक्त सुमेरसिंह पुत्र चुन्नीलालसिंह के कायममुकामान की कार्यवाही नहीं की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गयी है। अपीलाधीन आदेश/निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध है।

4. मीरा पुत्री मूलसिंह का नाम वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 319 के खातेदारान के तौर पर जमाबंदी में दर्ज होते हुए भी उसे पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थीगण श्रवणसिंह, चैनसिंह, सुमेरसिंह (मृत) गिरधारीसिंह पिसरान चुन्नीलाल पर सम्मनों की सम्यक एवं समुचित तामील हुए बिना और उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का किसी भी प्रकार से कोई अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिससे नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना हुई है।

6. समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 319 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा में से 114 गुणा 75 गुणा 1.5, 19 गुणा 15 गुणा 1, 22 गुणा 12 गुणा 1.25 मीटर भूभाग पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदार निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश की कियान्विति में व्यावहारिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कठिनाईयॉ साफ दृष्टिगोचर होती है और अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन को भी बल मिलता है कि समस्त मौका रिपोर्ट आदि कागजी कार्यवाही मात्र है।

7. उपरोक्त किये गये विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट्स को समुचित समय में नहीं होना स्वभाविक है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को कण्डोन किया जाता है और अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

8. इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के मामले एक नियमित वाद की भांति ही प्रकिया अपनाई जाकर निस्तारित किये जाने का प्रावधान है, इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि --

> 177(4) If appearance is made within the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court fees, treat the application to be plaint and proceed with the case as a suit:

मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त आब्जर्वेशन के आलोक में वाद विचारण की प्रकियागत कार्यवाही कर नियमानुसार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र का उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिसम्मतः निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर